



2026/AHC/44321

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 325/2026

बॉबी

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : ब्रिजेश कुमार चतुर्वेदी, मो. नौशाद, विशेष राजवंशी

विपक्षी पार्टी के अधिवक्ता : जी.ए.

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीड़िता बालिग है और उसने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि आवेदक उसे उसकी मां से मिलवाने ले गया था और आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। जबकि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने बिल्कुल अलग बात कही है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि पीड़ित द्वारा विरोधाभासी बयान दिए गए हैं, जो स्वयं आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करते हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिया कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। वकील के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष पूरी निष्ठा से उपस्थित रहेगा तथा अदालत द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद आवेदक ने निवेदन किया है कि वह 01.07.2025 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. मामला संख्या 377/2025, धारा 64(2)(घ) और 87, बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन कैराना, जिला शामली, में आरोपी आवेदक **बोबी** को निजी मुचलके और दो भारी स्थानीय जमानतदारों को समान राशि के लिए संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय को कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"